

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 9/7/2015

क्रमांक एफ 44-10/2014/20-2 प्रवेश के मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण करने हेतु दिनांक 08.06.2015 को अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की अनुशंसानुसार राज्य शासन एतद द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों के लिए वर्ष 2015-16 हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है:-

क्र.	श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु. 35,000/- प्रति छात्र
2	उक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य नगर निगम वाले मुख्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु. 32,500/- प्रति छात्र
3	शेष स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	रु. 30,000/- प्रति छात्र

उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी०एल० सोलकी)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 9/7/2015

Kusum
बहुभाग-2
स्कूल शिक्षा विभाग
काया-2

पृ० क० एफ 44-10/2014/20-2
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल
5. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल
9. समस्त प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय म.प्र.
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/उपायुक्त आदिवासी विकास म.प्र.
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
12. समस्त प्राचार्य, डाईट मध्यप्रदेश
13. समस्त प्राचार्य अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डी.एड.) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. आर्डर बुक

Kusum

Kusum
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

केश मले:-

बहुभाग-2
स्कूल शिक्षा विभाग
काया-2